केन्द्रीय विधि (अरुणाचल प्रदेश पर विस्तारण) अधिनियम, 1993

(1993 का अधिनियम संख्यांक 44)

[27 मई, 1993]

कतिपय केन्द्रीय विधियों का अरुणाचल प्रदेश राज्य पर विस्तारण करने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विधि (अरुणाचल प्रदेश पर विस्तारण) अधिनियम, 1993 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. कतिपय विधियों का विस्तारण—अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए सभी नियमों, आदेशों, विनियमों और स्कीमों का अरुणाचल प्रदेश राज्य पर विस्तार किया जाता है और वे उस राज्य में प्रवृत्त होंगे ।

3. उन विधियों के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवृत्त नहीं हैं—अनुसूची में उल्लिखित किसी अधिनियम में किसी ऐसी विधि के, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवृत्त नहीं है, प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश है ।

4. जहां नए प्राधिकरण गठित किए गए हैं वहां प्राधिकरणों के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन—अरुणाचल प्रदेश राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी ऐसे प्राधिकरण के, जो उस विधि के पारित किए जाने की तारीख को उस राज्य में किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम है, प्रति किसी निर्देश का चाहे वह किन्हीं भी शब्दों में हो, जहां तत्स्थानी नया प्राधिकरण उस राज्य पर अब विस्तारित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया है, इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह नए प्राधिकरण के प्रति निर्देश हो ।

5. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि किसी ऐसे अधिनियम के, जिसका विस्तार अब अरुणाचल प्रदेश राज्य पर किया गया है, उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे किसी अधिसूचित आदेश में,—

(क) धारा 4 के अर्थ के भीतर तत्स्थानी प्राधिकरण विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे ;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी मामले के, किसी तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को निपटारे के लिए, अन्तरण का उपबंध किया जा सकेगा :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम
1	2	3
1862	3	सरकारी मुद्रा अधिनियम, 1862
1873	5	सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873
1874	4	विदेशी भर्ती अधिनियम, 1874
1881	26	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
1884	4	विस्फोटक अधिनियम, 1884
1885	13	भारतीय तार अधिनियम, 1885
1888	4	भारतीय रिजर्व बल अधिनियम, 1888
1905	4	भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, 1905
1908	6	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
1938	5	युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938
1941	25	रेल (स्थानीय प्राधिकारी कर) अधिनियम, 1941
1948	31	राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948
1948	37	जनगणना अधिनियम, 1948
1948	46	कोयला खान भविष्य-निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948

———